पत्रांक :— 3/रा॰पु॰—601/2010 का॰ 954 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 24 फरवरी, 2010

विषय :— कर्मियों के संवर्ग विभाजन के फर्जी आदेशों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कर्मियों के संवर्ग विभाजन के फर्जी आदेश के आधार पर सरकारी सेवक के रूप में योगदान करने के मामले प्रकाश में आये हैं।

2. विदित हो कि संप्रति निम्न प्रकार से संवर्ग विभाजन के आदेश निर्गत किये जाते है :—

(क) राज्य परामर्शदातृ समिति की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा अंतिम संवर्ग आवंटन।

(ख) अंतिम संवर्ग आवंटन के पश्चात् पारस्परिक आधार पर संवर्ग परिवर्त्तन। इसमें संवर्ग परिवर्त्तन आदेश गृह (विशेष) विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किये जाते है।

(ग) अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् उसमें पुनरीक्षण । इसमें गंभीर चिकित्सीय आधार पर अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् संवर्ग में परिवर्त्तन करने की व्यवस्था है। यह आदेश भी भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है।

(घ) अंतिम रूप से आवंटित संवर्ग के पदधारकों का एकल रूप में संवर्ग पुनरीक्षण। यह व्यवस्था अभी प्रक्रियाधीन है और इससे संबंधित आदेश गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

0/c

3. उपर अंकित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि संवर्ग विभाजन की प्रक्रिया इस तरह निरूपित है, जिसमें फर्जी आदेशों के आधार पर सरकारी सेवा में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, परंतु ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित निरोधात्मक प्रक्रिया निरूपित की जाती है :—

(क) भारत सरकार के स्तर से जारी होने वाले अंतिम संवर्ग विभाजन तथा अंतिम संवर्ग विभाजन में पुनरीक्षण से संबंधित आदेश कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा भारत सरकार से फैक्स के माध्यम से संपुष्ट कराया जायेगा।

(ख) संवर्ग विभाजन/अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् उसमें पुनरीक्षण संबंधी भारत सरकार के आदेश इस विभाग द्वारा झारखंड राज्य के सभी विभागों को अग्रसारित किये जाते है। इस विभाग द्वारा भेजे गये ऐसे आदेशों की प्रमाणिकता फैक्स के माध्यम से प्राप्त करने के उपरांत सभी विभाग अपने अधिनस्थ कर्मियों के योगदान स्वीकृति की कार्रवाई करेंगे।

(ग) पारस्परिक राज्य स्थानांतरण एवं प्रस्तावित एकल आधार पर राज्य स्थानांतरण से संबंधित आदेश गृह (विशेष) विभाग, बिहार से जारी होते हैं। उनकी संपुष्टियाँ संबंधित प्रशासी विभाग गृह (विशेष) विभाग, बिहार से फैक्स द्वारा प्राप्त करेंगे तथा आदेश की प्रमाणिकता से संपुष्ट होने के उपरांत ही संबंधित कर्मी का योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

(घ) पारस्परिक आधार पर संवर्ग परिवर्त्तन से संबंधित पूर्व के आदेशों को भी उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार संपुष्ट किया जायेगा।

(ड़) पूर्व आवंटित कर्मियों के मामले में प्रशासी विभाग आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित कर्मी की मूल सेवापुस्ती एवं अन्य संबंधित अभिलेख बिहार सरकार से प्राप्त हुए हैं तथा बिहार राज्य में संबंधित कर्मी को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित किया गया है। मूल सेवापुस्ती तथा भविष्य निधि लेखा संख्या अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मी के संबंध में प्रमाणिक सूचना उनके पूर्व पदस्थापन के कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) संवर्ग विभाजन से संबंधित किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना इस विभाग को निश्चित तौर पर दी जायेगी।

4. अनुरोध है कि उक्त निरूपित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

15/2/2010

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।